(पॉलिसी वर्ष 2016-17 के लिए) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की संशोधित नियमावली

योजना का ब्यौराः

पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करने के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह कवर एक वर्ष के लिए है जो प्रति वर्ष नवीनीकरणीय है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियाँ, आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संबद्ध करके इन्हीं शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक अपने अभिदाताओं के लिए योजना कार्यान्वित करने हेतु ऐसी किसी जीवन बीमा कंपनियों को सम्बद्ध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कवरेज के दायरेः सहभागी बैंको के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता धारक शामिल होने के पात्र होंगे। यदि, किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हो तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा।

नामांकन की अवधिः 1 जून, 2016 से 31 मई, 2017 तक की कवर अवधि के लिए, अभिदाताओं को 31 मई, 2016 तक योजना में नामांकन करना होगा तथा ऑटो-डेबिट की सहमति देनी होगी। योजना में बाद में शामिल होने वाले व्यक्ति संभावित कवर के लिए पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इसमें शामिल हो सकते हैं।

नामांकन पद्धतिः कवर 01 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए होगा जिसमें शामिल होने का विकल्प देने/नामोदिष्ट व्यक्तिगत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में सहमति प्रति वर्ष 31 मई तक देना अपेक्षित होगा। संभावित कवर के लिए पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर लंबित नामांकन संभव है।

01 जून, 2016 या इसके पश्चात् पहली बार नामांकन कराने वाले अभिदाताओं के लिए बीमा कवर योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन (लियन अवधि) के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मृत्यु के लिए उपलब्ध नहीं होगा और (दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से) मृत्यु के मामले में लियन अवधि के दौरान कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

इस योजना से बाहर निकलने वाला कोई व्यक्ति भविष्य के वर्षों में किसी भी समय इस योजना में शामिल हो सकता है। लियन अवधि के दौरान बीमा लाभ प्राप्त न होना वैसे अभिदाताओं के लिए भी लागू होगा जो इस योजना को प्रथम वर्ष के दौरान या बाद में छोड़ते हैं और इस योजना में 01 जून, 2016 को या इसके पश्चात् शामिल होते हैं।

भविष्य के वर्षों में, पात्र श्रेणी में नए सदस्य, या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पूर्व में इस योजना मे शामिल नहीं हुए थे या जिन्होने अपना अंशदान बंद किया था, यदि योजना हो तो वे इस योजना में उपर्युक्त निर्धारित 45 दिन की लियन अवधि के अध्यधीन शामिल हो सकते हैं।

लाभः किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 रु. लाख देय होंगे।

प्रीमियमः 330/- रु. प्रति सदस्य प्रति वर्ष। इस योजना के तहत, दिए गए विकल्प के अनुसार, प्रीमियम एक किश्त में 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 31 मई को या उससे पूर्व काट लिया जाएगा। 31 मई के पश्चात, संभावित कवर के लिए पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर लंबित नामांकन संभव है। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। अतिशय प्रकार के अनापेक्षित प्रतिकूल परिणामों के अलावा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि प्रथम तीन वर्षों में प्रीमियम को बढ़ाया न जाए।

पात्रता की शर्तें:

सहभागी बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाता धारक, जिनकी उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु) के बीच है तथा जो उपर्युक्त के अन्तर्गत योजना मे शामिल होने/ऑटो-डेबिट हेतु सहमति दे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।

मास्टर पालिसी धारकः सहभागी बैंक मास्टर पॉलीसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श करके, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बीमा की समाप्तिः सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी एक घटना के घटने पर समाप्त होगा और इसके अंतर्गत कोई लाभ देय नही होगाः

1) 55 साल की उम्र (निकटतम जन्म दिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश, हालांकि, 50 वर्ष की आयु परे संभव नही होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो।

2) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर।

3) यदि सदस्य को एलआईसी/अन्य कम्पनी के द्वारा पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया हो और एलआईसी/अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख रु. तक सीमित होगा तथा दूसरे बीमा के प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।

4) यदि बीमा कवर देय तिथि पर किसी तकनीकी कारण से जैसे पर्याप्त राशि न होना या किसी प्रशासनिक मुद्दे की वजह से बंद हो जाता है तो उसे प्रयोज्य नए कवर तथा 45 दिन के लियन के अध्यधीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात् पुनः आरंभ किया जा सकता है।

5) सहभागी बैंक नियमित नामांकन के मामले में प्रतिवर्ष 30 जून या इससे पूर्व, तथा अन्य मामलों में प्राप्ति के महीने में, प्रीमियम का विप्रेषण करेगा।

प्रशासनः उपरोक्त शर्तों के अनुसार, यह योजना एलआईसी पेंशन एवं समूह योजना इकाईयों/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा प्रशासित की जाएगी। डाटा प्रवाह की प्रक्रिया और डाटा प्रोफॉर्मा अलग से सूचित किया जाएगा।

खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व **ऑटो-डेबिट प्रक्रिया** द्वारा विकल्प के अनुसार नियत वार्षिक प्रीमियम की एक किश्त में वसूली की ज़िम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी।

सदस्य, योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष ऑटो-डेबिट हेतु एक बार ही अधिदेश दे सकते हैं।

सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ऑटो-डेबिट प्राधिकार फॉर्म/सहमति-सह-घोषणा पत्र प्राप्त किए जाएँगे तथा रखे जाएँगे। दावों के मामलों में, एलआईसी/बीमा कम्पनी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। एलआईसी/बीमा कम्पनी को किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार है।

पावती को पावती-सह-बीमा प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जा सकता है।

आवश्यकतानुसार, पुनः जांच के लिए योजना के अनुभव की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाएगी।

प्रीमियम का विनियोजनः

1) एलआईसी/अन्य बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियमः 289/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य।

2) बीसी/माइक्रो/कॉरपोरेट/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्तिः 30/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य।

3) सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्तिः 11/- रु. प्रति वर्ष प्रति सदस्य।

इस योजना के आरंभ होने की तिथि 01 जून, 2015 है। उत्तरवर्ती वार्षिक नवीनीकरण तिथि प्रत्येक आनुक्रमिक वर्ष की पहली जून होगी।

यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो, इस योजना को अगली नवीनीकरण तिथि के आरंभ होने से पूर्व ही बंद किया जा सकता है।